न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम कमलादेवी, तुलसीराम जाट वगैरह निवासी कुचामन

प्रा.पत्र नम्बर 191/2021 **GCMS No.2021/240**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
23/11/2021	पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखं० अधिकारी राजकार्य अवकाश में बाहर पत्रा० [illegible] अत: पत्रावली दिनांक 02/12/2021 को पेश हो	
02/12/2021	वकील अप्रार्थी तुलसीराम की ओर से श्यामसुन्दर चौधरी के द्वारा वकालतनामा एवं आवेदन प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कुचामनसिटी पटवार मण्डल कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 148 रकबा 4॰69 हैक्टर में अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त रूप से खातेदारी भूमि आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्व माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरूद्व एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरा की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी की लोक सूचना न.पा.कु./2021–22/3213 दिनॉक 02.11.2021 को जारी कर दैनिक समाचार पत्रिका में जारी की गई है तथा अप्रार्थी द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी में प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली तैयार कर ली गई है तथा संपरिवर्तन हेतु सक्षम अधिकारी के यहॉ प्रस्तुत करने को तैयार है, परन्तु माननीय न्यायालय में वाद व स्थगन आदेश प्रभावी होने से उक्त भूमि के रूपान्तरण में कार्यवाही बाधित हो रही है, इसलिए कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे ताकि वादग्रस्त भूमि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रूपान्तरित की कार्यवाही की जा सके। प्रकरण में उभय पक्षकार एवं [illegible] राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया [illegible] अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लोक सूचना प्रति एवं शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा इस शर्त के खारिज की जाती है कि अप्रार्थी शीघ्र ही अपनी उपरोक्त खसरा की भूमि सक्षम अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के यहॉ से रूपान्तरित करवा ले। प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.31 17:09:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)